S.T.D. 0581
2527263, 2521122
2527282, 2527273

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

बरेली – 243 006 (भारत)
BAREILLY-243 006 (INDIA)

पत्रांक : रू.वि./सम्ब./125(1)2007/ 3942-51 दिनांक : 30.03.2007

सेवा में,

प्रबन्धक,
मॉडल पब्लिक एजुकेशन कालेज,
चन्दौसी, मुरादाबाद

विषय :- संस्था में बी.एड. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.11.2006 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

संदर्भित पत्र के तारतम्य में आपको अवगत कराना है कि आपकी संस्था को राजभवन के पत्रांक ई.स./2392/जी.एस. दिनांक 20.11.2006 द्वारा स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी.एड. पाठ्यक्रम को 100 सीटों की क्षमता के साथ अग्रेतर सम्बद्धता की अनुमति प्रदान की गयी है।

कुलाधिपति महोदय के उपरोक्त स्वीकृति एवं एनसीटीई के पत्र संख्या F.No.49-29/2005/NCTE दिनांक 22.05.2006 के आलोक में कुलपति जी ने कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में मॉडल पब्लिक एजुकेशन कालेज, चन्दौसी, मुरादाबाद को शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी.एड. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है :-

1. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन, विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
2. सम्बद्धता मानकों की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण किया जायेगा।
3. शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 (शुल्क संबंधी) एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

1. वित्त अधिकारी
2. उप कुलसचिव
3. सहायक कुलसचिव (गोपनीय/परीक्षा/शैक्षणिक/मुद्रण)
4. निजी सचिव (कुलपति)

कुलसचिव

0522-2206221

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ-227132

संख्या-ई.स. 2392/जी.एस.
दिनांक: 20/11 /2006

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अनु सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

महोदय,

आपके पत्रांक: रू०वि०/सम्ब०/२००६/८४६४-६६ दिनांक २६-०६-२००६ एवं पत्रांक: रू०वि०/सम्ब०/२००६/२२२० दिनांक २८-०८-२००६ के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ की धारा-३७ (२) के अधीन मॉडल पब्लिक एजूकेशन कालेज, चन्दौसी को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में १०० सीट की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१-०७-२००६ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

१- संस्था उच्च शिक्षा विभाग व्दारा जारी शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

२- संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद व्दारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद व्दारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

३- यदि संस्था व्दारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय व्दारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
२- निदेशक,उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
३- क्षेत्रीय निदेशक,राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद,उत्तर क्षेत्रीय समिति,४६-ए, तिलकनगर, शान्तिपथ, जयपुर।
४- प्रबन्धक/प्राचार्य, मॉडल पब्लिक एजूकेशन कालेज, चन्दौसी,मुरादाबाद।

विजय कुमार सिंह
(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव